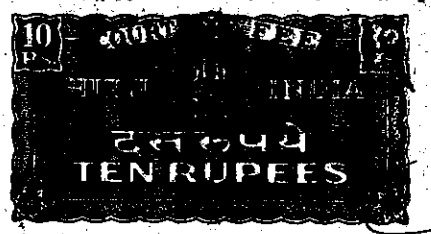

पांच रुपये FIVE RUPEES

दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय : राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2006 निगरानी

R-597-I/06

सीताराम पुत्र मंगला, जाति–वैरबा, निवासी–ग्राम नापा खोडली, तहसील–श्योपुर, जिला–श्योपुर

––––– प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

1. गोपी पुत्र देवा, जाति–वैरबा
2. रामचरन पुत्र गोपी, जाति–वैरवा

निवासीगण–ग्राम मावदा, तहसील–श्योपुर, जिला–श्योपुर (म0प्र0)

––प्रतिप्रार्थीगण/आवेदकगण

3. कान्हा पुत्र देवा
4. शंकर पुत्र ग्यासी
5. महिला जैली पत्नी कृष्ण
6. रामकैलाश पुत्र गोपीलाल

सभी जाति–वैरबा, निवासीगण–ग्राम मावदा, तहसील व जिला–श्योपुर (म0प्र0)

... प्रसाद पुत्र मंगला, जाति–वैरबा, ... –ग्राम नापा खोडली, ... –श्योपुर, जिला–श्योपुर (म0प्र0)

––––– प्रतिप्रार्थीगण/अनावेदकगण

... निगरानी ... म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, ... आयुक्त चम्बल संभाग, ... (श्री ... अजरिया) द्वारा निगरानी क्रमांक 8/2002–03, गोपी आदि बनाम सीताराम आदि में पारित आदेश दिनांक 31–7–2004 के विरुद्ध निगरानी।

Application u/s 5 of ... Act is ... Deleted as per order dt. 04.01.16

...)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

...रण क्रमांक 597-एक/2006 निगरानी — जिला श्योपुर

...तथा ...ांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17.10.16	यह निगरानी अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 5/02-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2004 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 6/1992-93 अ-27 में पारित आदेश दिनॉक 5-2-1996 से पक्षकारों के बीच बटवारा किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 25/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 26-9-2002 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 5/02-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2004 से निगरानी स्वीकार की गई एंव अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26-9-02 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है। 3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के	

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 1 से 6 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है इनमें से अनावेदक कमांक 4, 5 अज्ञात होने के कारण उनका नाम निगरानी मेमो से विलोपित करने का आवेदन मान्य किया गया है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से पाया गया कि उभय पक्ष के बीच बटवारा की गई भूमि के सम्बन्ध में बटवारे से पूर्व व्यवहार न्यायाधीश श्योपुर कलॉ के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 27/83 ए.ई.दी. चला है जिसमें हुये आदेश दिनांक 11-10-85 के अनुसार वादोक्त भूमि के मानचित्रानुसार आवेदकगण के हित में बटवारा करने के आदेश हैं एंव स्थाई निषेधाज्ञा भी जारी हुई है। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 6/1992-93 अ-27 में पारित आदेश दिनॉक 5-2-1996 से व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में बटवारे का अमल किया है।

> भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 178- व्यवहार न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालय पर बंधन कारी है। व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व अधिकारी आदेश प्रदान करता है तब ऐसे आदेश के विरूद्व अपील/निगरानी राजस्व न्यायालय में न होकर व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में होगी।

नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 5-6-96 मान. व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में है जिसके विरूद्व अबुविभागीय अधिकारी ने अपील श्रवण कर नायव तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने में त्रुटि की है

X (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 597-एक/2006 निगरानी जिला श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	जिसके कारण विद्वान अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 5/02-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2004 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 5/02-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-04 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है। सदस्य	